अधिसूचना सं0 20/2014-सीमाशुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं0 291(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या 39/1996-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम सं. 20 के सामने, स्तंभ (2) में, "सुबाह्य एक्स-रे मशीन/प्रणाली" पद का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम सं. 43 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"44	सभी माल	यदि,- (क) उक्त मालों का आयात राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.त.अ.सं. कहा गया है) द्वारा किया गया है ; (ख) उक्त मालों की निकासी से पूर्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून रा.त.अ.सं. का अधिकारी प्रमाणित करता है कि उक्त माल रा.त.अ.सं. द्वारा सामरिक प्रणालियों के लिए अपेक्षित है । स्पष्टीकरण - इस छूट की कोई बात 1 जनवरी, 2019 को या उसके पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।
45	सभी माल	यदि,- (क) उक्त मालों का आयात राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.त.अ.सं. कहा गया है) के ठेकेदार के भारतीय आफसेट भागीदार (जिसे इसमें

		इसके पश्चात् भा.आ.मा. कहा गया है) द्वारा किया जाता है ; (ख) उक्त मालों की निकासी से पूर्व आयातकर्ता भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून रा.त.अ.सं. के अधिकारी से शुल्क छूट का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है - (i) ठेकेदार को रा.त.अ.सं. द्वारा दिए गए क्रय आदेश के ब्यौरे उपदर्शित करते हुए ; (ii) उक्त अंतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए आयात के लिए आपेक्षित मालों का विवरण और मात्रा तथा अंतिम उत्पादों के विवरण के साथ उक्त ठेकेदार द्वारा भा.आ.मा. को दिए गए क्रय आदेश के ब्यौरे उपदर्शित करते हुए ; और (iii) यह प्रमाणित करना कि उक्त माल उक्त ठेकेदार से रा.त.अ.सं. द्वारा अर्जित रेडारों में उपयोग के लिए आशयित है । स्पष्टीकरण - इस छूट की कोई बात 1 जनवरी, 2019 को या उसके पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 39/1996-सीमाशुल्क तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 42/2013-सीमाशुल्क तारीख 30 अगस्त, 2013 द्वारा सा.का.नि. 586(अ) तारीख 30 अगस्त, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।